बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग,
कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना
संख्या–

<u>नियोजन सूचना</u>

पर्यावरण एवं वन विभाग के संकल्प संख्याः वन पर्यावरण योजना बजट–35/2015–2316 दिनांक 06.08.15 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पटना वन प्रमंडल, कार्यालय के अधीन एक तकनीकि कोषांग के रूप में **''पार्क प्रबंधन इकाई'' (PMU)** के गठन का निर्णय लिया गया है। इस कोषांग को तत्काल मार्च 2019 तक कार्यरत रखा जायेगा। तद्आलोक में कोषांग के गठन हेतु संबंधित क्षेत्रों के तकनिकी रूप से दक्ष व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियोजन की आवश्यकता है :

क्रसं	पदों का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता	01.09.15 को अधिकतम उम्र	मानदेय मासिक (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	पार्क प्रबंधक	अनारक्षित–01	सेवानिवृत्त – भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा के पदाधिकारी <u>अथवा</u> प्रतिनियुक्ति – बिहार वन सेवा के कार्यरत पदाधिकारी <u>अथवा</u> आउट सोर्सिंग – भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल से वानिकी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा .... या................... किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/ख्याति प्राप्त संस्थान से वानिकी+प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री	67 – 40 40	50000
2	सहायक प्रबंधक	अनारक्षित–01 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 **कुल–02**	सेवानिवृत्त – वनों के क्षेत्र पदाधिकारी <u>अथवा</u> प्रतिनियुक्ति – वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर कार्यरत पदाधिकारी <u>अथवा</u> आउट सोर्सिंग – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/ख्याति प्राप्त संस्थान से वानिकी+प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री	67 – 40	45000
3	सिविल इंजीनियर	अनारक्षित–01	सेवानिवृत्त – सहायक अभियंता (सिविल) <u>अथवा</u> प्रतिनियुक्ति –बिहार के अन्य विभागों में सहायक अभियंता (सिविल) <u>अथवा</u> आउट सोर्सिंग – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/ख्याति प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल) की डिग्री	67 – 40	40000
4	लैंडस्केपर	अनारक्षित–01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की लैंडस्केपिंक में डिप्लोमा के साथ कम–से–कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सेवा निवृत होर्टिकल्चर के पदाधिकारी जिनाके कम–से–कम वर्ष का लैंडस्केपिंग	40 67	45000

			का कार्य अनुभव या प्रतिनियुक्ति पर लैंडस्केपर या पंजीकृत फर्म से कम–से–कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव वाले लैंडस्केपर ऑउटर्सोसिंग पर	– 40	
5	उद्यान पदाधिकारी	अनारक्षित–01 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 **कुल–02**	सेवानिवृत्त – उद्यान पदाधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति – उद्यान पदाधिकारी के पद पर कार्यरत पदाधिकारी अथवा आउट सोर्सिंग – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय से उद्यान /वानिकी में स्नातक की डिग्री। स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी।	67 – 40	40000
6	लेखा पदाधिकारी / लेखापाल	अनारक्षित–01	सेवानिवृत्त – लेखापाल/लेखा पदाधिकारी अथवा प्रतिनियुक्ति – लेखापाल/लेखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत पदाधिकारी अथवा आउट सोर्सिंग – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री। सी.ए. की डिग्री एवं लेखा संबंधी कार्य का अनुभव	67 – 40	30000
7	**सहायक**	अनारक्षित–02 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 अनु. जाति–01 **कुल–04**	सेवानिवृत्त – सेवानिवृत्त सहायक अथवा प्रतिनियुक्ति – सहायक के पद पर कार्यरत कर्मी अथवा आउट सोर्सिंग – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं कम्प्यूटर का ज्ञान	67 – 40	20000
8	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अनारक्षित–01 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 **कुल–02**	आउट सोर्सिंग – न्यूनतम इन्टर उत्तीर्ण + O' Level course of DOEACC or Equivalent. एवं माइक्रोसॉफ्टवेयर यथा M.S Word, M.S. Excel, Access तथा Power Point में कार्य करने का अच्छा ज्ञान अंग्रेजी में टंकण की गति 40 एवं हिन्दी टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट	40	15000
9	कार्यालय परिचारी	अनारक्षित–02 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 **कुल–03**	सेवानिवृत्त – सरकार के किसी भी कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मी अथवा प्रतिनियुक्ति – प्रतिनियुक्ति पर। अथवा आउट सोर्सिंग – आठवीं पास।	67 – 40	8000
10	**ड्राईवर**	अनारक्षित–01 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 **कुल–02**	सेवानिवृत्त – सरकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त। अथवा प्रतिनियुक्ति – अन्य कार्यालय/विभाग से प्रतिनियुक्ति पर। अथवा	67 –	8500

			आउट सोर्सिंग – आठवीं पास। + ड्राईविंग लाईसेंस के साथ ड्राईविंग करने का तीन साल का अनुभव।	40	
11	**नाईट गार्ड**	अनारक्षित–01 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01 **कुल–02**	सेवानिवृत्त – सरकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त। <u>अथवा</u> प्रतिनियुक्ति – अन्य कार्यालय/विभाग से प्रतिनियुक्ति पर। <u>अथवा</u> आउट सोर्सिंग – आठवीं पास।	67 – 40	8000
	कुल	**21**			

<u>**नोट :**</u> सभी पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारी की सेवा लेने पर उसको सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन तथा पेंशन के अंतर का भुगतान मानदेय के रूप में किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को देय वेतन प्राप्त होगा। संविदा पर नियोजित कर्मी को क्रमांक 6 के अनुसार मानदेय देय होगा।

(क) <u>दायित्व :</u>

1. <u>पार्क प्रबंधक</u>

पटना के पार्को के प्रबंधन संबंधी कार्य।

2. <u>सहायक प्रबंधक</u>

पटना के पार्को के प्रबंधन संबंधी कार्य।

3 <u>सिविल इंजीनियर</u>

1. पार्क प्रबंधन के अन्तर्गत प्राप्त सभी योजनाओं की तकनीकि जाँच।
2. पार्क प्रबंधन के अन्तर्गत योजनाओं के सूत्रण का कार्य करना।

4 <u>लैंडस्केपर</u>

1. पार्क प्रबंधन के अन्तर्गत लैंडस्केपिंग से संबंधित कार्य की तकनीकि जाँच।
2. पार्क प्रबंधन के अन्तर्गत लैंडस्केपिंग से संबंधित योजनाओं का सूत्रण।

5 <u>उद्यान पदाधिकारी</u>

पार्क प्रबंधन के अन्तर्गत पार्को के विकास एवं रख–रखाव पर कार्य की जिम्मेवारी।

6 <u>लेखा पदाधिकारी/लेखापाल</u>

1. विभाग से संबंधित सभी प्रकार के निर्माण एवं पूर्व से निर्मित संरचानाओं की मरम्मति एवं अनुरक्षण से संबंधित प्लान एवं प्राक्कलन तैयार करना, कार्यों का अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण में विभागीय पदाधिकारियों की सहायता करना।
2. लेखा संबंधी सभी कार्य।

7 <u>सहायक</u>

1. पार्को के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण।
2. योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों का संधारण, विश्लेषण एवं तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
3. बजट एवं आवंटन व्यय आदि विषयों से संबंधित जिम्मेदारी।

8 <u>डाटा इंट्री ऑपरेटर</u>

टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग कार्य।

(ख) चयन की प्रक्रिया

चयन हेतु समाचार पत्रों एवं सरकार के वेबसाईट पर विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरान्त योग्य आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। इस साक्षात्कार एवं चयन के लिये निम्नवत् विभागीय समिति गठित की जायेगीः–

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना बिहार	अध्यक्ष
2. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार	सदस्य
3 वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	सदस्य
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना	सदस्य सचिव

समिति द्वारा विभिन्न कोटियों के योग्य व्यक्तियों के चयन की अनुशंसा करेगी। इस अनुशंसा पर प्रधान मुख्य संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के स्तर से नियोजन संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। निर्धारित अर्हता एवं योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नहीं मिलने, इनके नियोजन या मानदेय निर्धारण से सम्बंधित अथवा किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में उपर्युक्त गठित समिति द्वारा अर्हता, योग्यता एवं मानदेय निर्धारण के साथ–साथ अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। इस नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण सम्बंधी नियमों एवं आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(ग) सेवा की शर्तें–

1. चयन के पश्चात् प्रारम्भ में 12 (बारह) महीनों के लिये संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर एकरारनामा कर नियोजन किया जायेगा।
2. नियोजनार्थी के कार्य–कलाप की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी एवं असंतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में एक माह के नोटिस/मानदेय देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
3. संविदा की अवधि समाप्ति के उपरांत संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अनुबंध को नवीकृत किया जा सकेगा।
4. सभी पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारी की सेवा लेने पर उसको सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन तथा पेंशन के अंतर का भुगतान मानदेय के रूप में किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को देय वेतन प्राप्त होगा। निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. एक वर्ष के बाद मानदेय को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के स्तर पर होगी।
6. यह नियोजन पूर्णतः अस्थाई होगा तथा भविष्य के लिये नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा।

(घ) सामान्य अनुदेश :

1. लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखा जाना आवश्यक है।
2. नियोजन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र वेवसाइट **www.forest.bih.nic.in** से प्राप्त किया जा सकता है।
3. आवेदन के साथ दो फोटो (एक अभिप्रमाणित फोटो निर्धारित आवेदन पत्र पर एवं एक स्वहस्ताक्षरित फोटो अलग से), शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण की राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ 25X10 से0मी0 आकार का पता लिखित लिफाफा जिसपर 25–25 रूपया का डाक टिकट लगा हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. आवेदक अपना आवेदन निबंधित डाक से **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के कार्यालय तृतीय तल, अरण्य भवन, राईडिंग रोड, शेखपुरा मोड़ के निकट, पटना–800014** के पते पर भेजेंगे।
5. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक–30.09.2015, अपराह्न 5:00 बजे है।
6. अपूर्ण आवेदन अथवा बिना आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्रों वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना द्वारा किसी आवदेन को स्वीकार करना अथवा अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार करने तथा अपरिहार्य परिस्थिति में नियोजन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

8. सरकार द्वारा गठित समिति के पास साक्षात्कार हेतु आवेदकों की संक्षिप्त सूची (Short list) तैयार करने की शक्ति होगी तथा shortlisted अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। केवल न्यूनतम अर्हता ही साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का आधार नहीं होगा।

उपर्युक्त शर्तों के आधार पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदकों से संविदा/प्रतिनियुक्ति पर नियोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। प्रपत्र विभागीय बेबसाईट **www.forest.bih.nic.in** पर उपलब्ध है।

(एस. के. सिंह)
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
पटना।